

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27/2017

अपीलार्थी—

जमाल खां पुत्र सफी खां
जाति मुसलमान निवासी पोषमा
तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट —

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 22.04.2016 जो प्रकरण सं. 05/2016 सरकार
बनाम जमाल खां मे तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30/01/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार गडरारोड़ के द्वारा प्रकरण सं. 05/2016 मे पारित आदेश दिनांक 22.04.16 के विरुद्ध पेश की गई हैं।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का फोगेरा ने दिनांक 06.04.2016 को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पोषमा के खसरा नम्बर 10 रकबा 74-15 गैर मुमकीन आगोर की भूमि मे से 00-04 बीघा भूमि पर गैर सायल जमाल खां द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान मय बाड़ा निर्माण द्वारा कब्जा किया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोंडेंट तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलांट) को गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2016 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकॉर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा फोगेरा की आबादी भूमि पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलार्थी का परिवार पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहा है। हल्का पटवारी एवं अपीलार्थी के बीच अनबन होने के कारण झूठे एवं गलत तथ्य बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं प्रार्थी की उपस्थिति बताते हुए उसी दिन एकतरफा निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए उसके आवासीय मकान को ध्वस्त करने का एकतरफा आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है तथा प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज करते हुए उसी दिन आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में निस्तारित की गई है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य को रेकॉर्ड पर नहीं लिया गया है तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी अपीलार्थी



को तत्समय नहीं हुई तथा जब हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के आवासीय मकान को गिराने की धमकी दी तब तहसील कार्यालय गडरारोड़ जाकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तथा प्रतिलिपि प्राप्त होने तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेंट तहसीलदार गडरारोड़ की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के द्वारा ग्राम पोषमा के खसरा नम्बर 10 रकबा 74-15 बीघा गैर मुमकीन आगोर की प्रतिबन्धित किस्म की भूमि में से 00-04 बीघा पर अतिक्रमण कर आवासीय मकान मय बाड़ा निर्माण किये जाने पर हल्का पटवारी फोगेरा की रिपोर्ट पर अतिक्रमण को हटाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो किसी भी दशा में गैर कानूनी एवं विधि विरुद्ध नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद उसकी उपस्थिति में विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी या वाक्याती भूल नहीं होने एवं प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावे।



हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का फोगेरा ने दिनांक 06.04.2016 को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पोषमा के खसरा नम्बर 10 रकबा 74-15 गैर मुमकीन आगोर की भूमि में से 00-04 बीघा भूमि पर गैर सायल जमाल खां द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान मय बाड़ा निर्माण द्वारा कब्जा किया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस पर रेस्पोंडेंट तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा गैर सायल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनों पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति

की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलांट) को गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2016 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रथम सुनवाई पर अपीलार्थी की उपस्थित मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी का परिवार 50 वर्षों से निवास कर रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट मात्र के आधार पर ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मान लिया गया है तथा बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के बाद प्रथम सुनवाई पर ही आदेश पारित कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी के आवासीय कब्जा की अवस्थिति के बारे में भूमि की पैमाईश कर ग्राम की आबादी भूमि का सीमाज्ञान करने के बाद मौके पर अपीलार्थी के कब्जे के बारे में पूर्ण रूप से सुनिश्चितता करने के बाद बेदखली का आदेश पारित किया जाना चाहिए। इस अपील के विचारण के दौरान मौके की रिपोर्ट चाही गई, जिस पर दिनांक 29.07.2018 को भू-अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत एवं मौतबिरान के रूबरू मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलार्थी को अतिक्रमी होना बताया है किन्तु भूमि की पैमाईश करने का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। ऐसे में बिना पैमाईश किये, मौके पर अतिक्रमण की अवस्थिति राजस्व नजरी नक्शे में दर्शाये एवं अपीलार्थी को साक्ष्य-सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश विधि सम्मत नहीं होने से, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2016 को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2016 आपास्त किया किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गडरारोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर पैमाईश करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत आदेश नये सिरे से पारित करें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अपर जिला कलेक्टर
अपर कलेक्टर कोटमेर,
(ए.डी.एम.)